समस्त पत्र–व्यवहार कुलसचिव को ही सम्बोधित किया जाय
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सदर्भ यदि हो
तो ,देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।

दूरभाष 2529540,25275320
तार यूनिव्हरर्सिटी
फेक्स 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय–भवन
इन्दौर–452001

क.:संविक / वि.वि. प्रॉ. बोर्ड / 2026 / 753 दिनांक :– 30 OCT 2026

प्रति,

1/ प्राचार्य / प्राचार्या / संचालक / निदेशक,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जिला–इन्दौर / धार / झाबुआ।

2/ विभागाध्यक्ष / निदेशक,
समस्त अध्ययनशालाएँ,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर।

विषय :–महाविद्यालयों / विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में दो वर्ष हेतु प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन कर एक वरिष्ठ प्राध्यापक का नाम वि.वि. प्रॉक्टोरियल बोर्ड में शामिल कर भेजने बाबद।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत यू.जी.सी. विनियम कमांक 20 (अध्यादेश कमांक 7 की कंडिका–15 के अन्तर्गत) की कंडिका 2 (1) के अनुसार सत्र 2026–2027 एवं 2027–2028 (दो वर्ष) हेतु विश्वविद्यालय प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन माननीय कुलगुरूजी द्वारा किया जाना हैं। इस संबंध मे आप अपने महाविद्यालय / अध्ययनशाला स्तर पर नियमानुसार प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन कर, एक वरिष्ठ प्राध्यापक का नाम विश्वविद्यालय प्रॉक्टोरियल बोर्ड में शामिल करने हेतु प्रस्तावित कर कार्यालय, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग को आवश्यक रूप से भेजें, ताकि नियमानुसार विश्वविद्यालयीन प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जा सकें।

भवदीय

कुलसचिव

पृ. क.:संविक / वि.वि. प्रॉ. बोर्ड / 2026 / 753 दिनांक :– 30 OCT 2026

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, वल्लभ भवन, भोपाल।
2 आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुडा भवन, भोपाल।
3 मा. कुलगुरूजी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4 आई.टी. सेंटर, वि.वि. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण